उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-4
संख्या- 31 /दो-4-2024-36(1)2005 टी0सी0
लखनऊ दिनांक: 11 जनवरी, 2024

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 में संशोधन विषयक अधिसूचना संख्या-30/दो-4-2024-36(1)/2005 टी0सी0, दिनांक 11 जनवरी, 2024 के अन्तर्गत प्रख्यापित उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (सोलहवां संशोधन) नियमावली, 2023 की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रति संलग्न कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

(2) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।

(3) भाषा अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।

(4) निदेशक मुद्रण एवं लेखन साम्रगी, उ0प्र0, ऐशबाग, लखनऊ को गजट में प्रकाशनार्थ तथा इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (सोलहवां संशोधन) नियमावली; 2023 की अधिसूचना संख्या-30/दो-4-2024-36(1)/2005टी0सी0, दिनांक 11 जनवरी, 2024 को सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश के असाधारण अंक, विधायी परिशिष्ट, भाग-4 खण्ड (क) में दिनांक 11 जनवरी, 2024 में प्रकाशित करते हुए 500 मुद्रित प्रतियां नियुक्ति अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। **(रजिस्टर्ड डाक द्वारा)**

(5) गार्ड फाइल।

(विजय कुमार संखवार)
विशेष सचिव।

Mangal P.C. General U.O.

Scanned with OKEN Scanner

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.30/Two-4-2024-36(1)/2005 T.C. dated: 11 January, 2024:

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
APPOINTMENT SECTION-4
NOTIFICATION
Miscellaneous
No.30/Two-4-2024-36(1)/2005 T.C.
Dated: Lucknow, 11 January, 2024

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 read with Article 233 of the Constitution, the Governor in accordance with the recommendations of High Court of Judicature at Allahabad, is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules,1975;

THE UTTAR PRADESH HIGHER JUDICIAL SERVICE (SIXTEENTH AMENDMENT) RULES, 2023

Short title and commencement.-1.- (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Higher Judicial Service (Sixteenth Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force at once.

Amendment in Rule 5- 2.- In the Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975, hereinafter referred to as the said rules, in rule 5 for existing sub-rule (c) as setout in column-1 below, the rule as setout in column-2 shall be substituted namely :-

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing Rule	**Rule as hereby substituted**
Rule 5. Sources of Recruitment.- The recruitment to the service shall be made- (c) By direct recruitment from amongst the Advocates of not less than seven years standing as on the last date fixed for the submission of application forms.	**Rule 5. Sources of Recruitment-** The recruitment to the service shall be made- (c) By direct recruitment from amongst the Advocates **who have been, for not less than seven years, practicing as an Advocate, as on the last date fixed for the submission of application forms;** **Provided that only such advocates shall be permitted to appear in the examination process who have been engaged independently for conducting not less than 30 cases (other than bunch cases) for**

	Unreserved categories and 24 cases (other than bunch cases) for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in the preceding three years, from the year of publication of advertisement for recruitment, before any Court. The certificate of such independent engagement may be issued by District & Sessions Judge of the District or Registrar General/ Registrar of High Courts or Secretary General of Supreme Court, as the case may be.

Insertion of new sub-rule in Rule 16.-3.-In the said rules, after sub-rule(2) of rule 16, a new sub rule (3) shall be inserted namely :-

(3) The Selection Committee shall, with the approval of Chief Justice, prescribe pattern and syllabus of examination to be conducted under clause (b) and (c) of sub-rule (1) of rule 18, sub-rule (1) of rule 20 and sub-rule (1) and (4) of rule 21.

Insertion of new sub-rule in rule 17.-4.-In the said rules, after sub rule(1) of rule 17, a new sub rule (1-A) shall be inserted namely :-

(1-A) Pattern and syllabus as prescribed by Selection Committee shall be part of the notice mentioned in sub-rule (1).

Amendment in rule 18.-5.- In the said rules, in rule 18 for existing subrule (1) as setout in column-1 below, the rule as setout in column-2 shall be substituted namely :-

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing Rule	**Rule as hereby substituted**
Rule 18. Procedure of selection.- (1) The Selection Committee referred to in Rule 16 shall scrutinise the applications received and shall thereafter hold a written examination as prescribed in Appendix 'G' for judging the suitability of the candidates. The Committee shall call for interview such of the applicants who in its opinion have qualified for interview after scrutiny and written examination.	**Rule 18. Procedure of selection.-** **(1) The Selection Committee referred to in Rule 16:** **(a) shall scrutinise the applications received;** **(b) may, if number of eligible applicants exceed 10 times of the number of vacancies, hold a preliminary examination for judging suitability of candidates to be admitted in written examination. The preliminary examination shall consist of one paper of 100 marks of two hours duration from the syllabus as prescribed under Rule 16;** **Provided that only those candidates**

	shall be treated to be eligible for the main written examination who secure minimum 45% marks in the preliminary examination subject to 20 times of the number of vacancies category-wise i.e., General, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes. **(c) shall hold a written examination in accordance with the syllabus as prescribed under Rule 16 for judging suitability of the candidates.** **(d) shall call for interview such applicants who, in its opinion, have qualified in written examination.**

Omission of rule 18 (1-A).- 6.- In the said rules, the rule 18 (1-A) shall be omitted.

Amendment in rule 20.-7.- In the said rules, in rule 20 for existing subrule (1) as setout in column-1 below, the rule as setout in column-2 shall be substituted namely :-

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing Rule	**Rule as hereby substituted**
Rule 20. Promotion of members of the Nyayik Sewa as referred to in rule 5(a). (1) Recruitment by promotion of the members of the Nyayik Sewa shall be made by selection on the principle of merit-cum-seniority and on passing such a suitability test, as prescribed in Appendix 'G(1)'.	**Rule 20. Promotion of members of the Nyayik Sewa as referred to in rule 5(a).** (1) Recruitment by promotion of members of the Nyayik Sewa shall be made by selection on the principle of merit-cum-seniority and on passing such a suitability test, as **prescribed under rule 16.**

Amendment in rule 21.- 8.- In the said rules, in rule 21, for existing subrule (1) and (4) as setout in column-1 below, the rule as setout in column-2 shall be substituted namely :-

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing Rule	**Rule as hereby substituted**
Rule 21. Promotion of such members of the Nyayik Sewa as referred to in rule 5(b). (1) Recruitment by promotion of the members of Nyayik Sewa as referred to in Rule 5(b) shall be made by selection, strictly on the basis of merit through a limited competitive	**Rule 21. Promotion of such members of the Nyayik Sewa as referred to in rule 5(b).** (1) Recruitment by promotion of members of Nyayik Sewa as referred to in rule 5(b) shall be made by selection, strictly on the basis of merit through a limited competitive examination as

Scanned with OKEN Scanner

examination as prescribed in Appendix "H" (4) The selection Committee referred to in Rule 16 shall scrutinize the applications received and shall hold a limited competitive examination, as prescribed in Appendix 'H'.	**prescribed under rule 16.** (4) The selection Committee referred to in rule 16 shall scrutinize the applications received and shall hold a limited competitive examination, as **prescribed under rule 16.**

Amendment in Appendix 'A'.- 9.- In the said rules, for existing Appendix appended with the rule 4 (3) as setout in column-1 below, the Appendix as setout in column-2 shall be substituted namely :-

COLUMN-1		**COLUMN-2**	
Existing Appendix		**Appendix as hereby substituted**	
Appendix 'A' [See Rule 4(3)] The present permanent strength of the service, which shall on the commencement of these rules is as follows-		**Appendix 'A'** [See Rule 4(3)] The strength of the service **as on 31.03.2019 is as follows-**	
District and Sessions Judges, Additional District and Sessions Judge (including the posts against which Judicial Magistrates are to be appointed as Additional Sessions Judges).	150	**District and Sessions Judge, Additional District and Sessions Judge (including Special Courts created from time to time for trying specific cases such as Commercial Disputes, Land Acquisition, Motor Accident Claim Petitions, etc.)** **(a) Permanent** **(b) Temporary**	 **799** **541**
		Total	**1340**

Omission of Appendix 'G'.- 10.-In the said rules, the Appendix 'G' appended with rule 18 shall be omitted.

Omission of Appendix 'G-(1).- 11.-In the said rules, the Appendix 'G-(1)' appended with rule 20 shall be omitted.

Omission of Appendix 'H'.- 12.-In the said rules, the Appendix 'H' appended with rule 21 shall be omitted.

By Order,

(Dr. Devesh Chaturvedi)
Additional Chief Secretary

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश सरकार
नियुक्ति अनुभाग-4
अधिसूचना
प्रकीर्ण
संख्या- 30/दो-4-2024-36(1)/2005 टी0सी0
लखनऊ: दिनांक:11 जनवरी, 2024

संविधान के अनुच्छेद 233 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुतियों के अनुसार, उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :-

उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (सोलहवां संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (सोलहवां संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन 2- उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, नियम-5 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उप-नियम (ग) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम 5- भर्ती का स्रोत- सेवा में भर्ती निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी :- (ग) आवेदन-पत्र जमा करने की नियत अन्तिम तिथि को न्यूनतम सात वर्षों का अनुभव रखने वाले अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा।	**नियम 5- भर्ती का स्रोत-** सेवा में भर्ती निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी :- (ग) आवेदन पत्रों को प्रस्तुत किये जाने के लिए नियत अंतिम दिनांक को न्यूनतम सात वर्षों से एक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करने वाले अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा; परन्तु यह कि ऐसे अधिवक्ताओं को ही परीक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित होने की अनुज्ञा दी जायेगी, जो किसी न्यायालय के समक्ष भर्ती हेतु विज्ञापन के प्रकाशन वर्ष से, पूर्ववर्ती तीन वर्षों में अनारक्षित श्रेणियों के लिए 30 मामले (सामूहिक मामलों से भिन्न) और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 24 मामले (सामूहिक मामलों से भिन्न) से अन्यून मामले को संचालित करने में स्वतंत्र रूप से लगे हुए हों। ऐसे स्वतंत्र विनियोजन का प्रमाण पत्र यथास्थिति जिले का जिला एवं सत्र न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के महानिबन्धक/निबन्धक या उच्चतम न्यायालय के महासचिव द्वारा जारी किया जायेगा।

नियम-16 में नये उप-नियम का बढ़ाया जाना 3- उक्त नियमावली में, नियम-16 के उप-नियम-2 के पश्चात् एक नया उप-नियम (3) बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात :-

(3) चयन समिति, मुख्य न्यायमूर्ति के अनुमोदन से नियम-18 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) और (ग), नियम-20 के उप-नियम (1) और नियम-21 के उप-नियम (1) और (4) के अधीन संचालित की जाने वाली परीक्षा का पैटर्न और पाठ्य विवरणों को विहित करेगी।

नियम-17 में नये उप-नियम का बढ़ाया जाना 4- उक्त नियमावली में, नियम-17 के उप-नियम (1) के पश्चात्, एक नया उप-नियम (1-क) बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात :-

(1-क) चयन समिति द्वारा यथाविहित पैटर्न और पाठ्य विवरण उप-नियम (1) में उल्लिखित सूचना के भाग होंगे।

नियम-18 का संशोधन 5- उक्त नियमावली में, नियम-18 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम 18- चयन प्रक्रिया- (1) नियम-16 में निर्दिष्ट चयन समिति प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों की संवीक्षा करेगी और तत्पश्चात् अभ्यर्थियों की उपयुक्तता आंकने के लिए परिशिष्ट 'छ' में यथाविहित लिखित परीक्षा आयोजित करेगी। समिति ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगी जिन्होंने, संवीक्षा और लिखित परीक्षा के पश्चात् उसकी राय में साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त कर ली हो।	नियम 18- चयन प्रक्रिया- (1) नियम-16 में निर्दिष्ट चयन समिति : (क) प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगी; (ख) यदि पात्र आवेदकों की संख्या रिक्तियों की संख्या से दस गुना अधिक हो तो लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की उपयुक्तता आंकने के लिए एक प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित कर सकती है। प्रारम्भिक परीक्षा में नियम-16 के अधीन यथाविहित पाठ्य विवरणों से दो घंटे अवधि के 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र सम्मिलित होगा; परन्तु यह कि वे अभ्यर्थी ही मुख्य लिखित परीक्षा के लिए पात्र माने जायेंगे जो श्रेणीवार जैसे सामान्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्तियों की संख्या के बीस गुना के अध्यधीन प्रारम्भिक परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों। (ग) नियम-16 के अधीन यथाविहित पाठ्य विवरणों के अनुसार अभ्यर्थियों की उपयुक्तता आंकने के लिए एक लिखित परीक्षा आयोजित करेगी। (घ) ऐसे आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगी जिन्होंने लिखित परीक्षा में उसकी राय में साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त कर ली हो।

Scanned with OKEN Scanner

नियम-18 (1-क) का निकाला जाना 6- उक्त नियमावली में, नियम-18 (1-क) को निकाल दिया जायेगा।

नियम-20 का संशोधन 7- उक्त नियमावली में, नियम-20 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम 20- नियम-5 (क) में यथा निर्दिष्ट न्यायिक सेवा के सदस्यों की पदोन्नति (1) न्यायिक सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा भर्ती श्रेष्ठता-सह-ज्येष्ठता के सिद्धान्त पर और परिशिष्ट "छ(एक)" में यथाविहित ऐसी उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, चयन द्वारा की जायेगी।	नियम 20- नियम-5 (क) में यथा निर्दिष्ट न्यायिक सेवा के सदस्यों की पदोन्नति (1) न्यायिक सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा भर्ती श्रेष्ठता-सह-ज्येष्ठता के सिद्धान्त पर और नियम-16 के अधीन यथाविहित ऐसी उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, चयन द्वारा की जायेगी।

नियम-21 का संशोधन 8- उक्त नियमावली में, नियम-21 में नीचे स्तम्भ-1 में, दिये गये विद्यमान उप-नियम (1) और (4) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम-21 नियम-5 (ख) में यथा निर्दिष्ट न्यायिक सेवा के सदस्यों की पदोन्नति (1) नियम-5 (ख) में यथा निर्दिष्ट न्यायिक सेवा के ऐसे सदस्यों की पदोन्नति द्वारा भर्ती परिशिष्ट 'ज' में यथाविहित एक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से श्रेष्ठता के आधार पर सदस्यों के पदोन्नति सर्वथा चयन द्वारा किया जायेगा। (4) नियम-16 में निर्दिष्ट चयन समिति, प्राप्त किये गये आवेदन-पत्रों की संवीक्षा करेगी और परिशिष्ट 'ज' में यथाविहित एक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आवेदित करेगी।	नियम-21 नियम-5 (ख) में यथा निर्दिष्ट न्यायिक सेवा के सदस्यों की पदोन्नति (1) नियम-5 (ख) में यथा निर्दिष्ट न्यायिक सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा भर्ती नियम-16 के अधीन यथाविहित एक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से श्रेष्ठता के आधार पर सर्वथा चयन द्वारा की जायेगी। (4) नियम-16 में निर्दिष्ट चयन समिति, प्राप्त आवेदन-पत्रों की संवीक्षा करेगी और नियम-16 के अधीन यथाविहित एक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगी।

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट 'क' में संशोधन 9- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-4(3) के साथ संलग्न विद्यमान परिशिष्ट के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1		स्तम्भ-2	
विद्यमान परिशिष्ट		एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट	
परिशिष्ट 'क' [नियम-4(3) देखिए] सेवा के स्थायी पदों की वर्तमान संख्या जो इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय होगी, निम्नलिखित है :-		परिशिष्ट 'क' [नियम-4(3) देखिए] सेवा के पदों की संख्या दिनांक 31.03.2019 तक निम्नलिखित है :-	
जिला तथा सेशन न्यायाधीश, अपर जिला तथा सेशन न्यायाधीश (जिसके अन्तर्गत वे पद भी हैं जिन पर न्यायिक मजिस्ट्रेटों को अपर सेशन न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना है)	150	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (वाणिज्यिक विवादों, भूमि अर्जन, मोटर दुर्घटना दावा, याचिकाएँ आदि जैसे विशिष्ट मामलों के विचारण हेतु समय-समय पर सृजित विशेष न्यायालयों सहित) (क) स्थायी (ख) अस्थायी	 799 541
		योग	1340

परिशिष्ट 'छ' का निकाला जाना 10- उक्त नियमावली में, नियम-18 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'छ' को निकाल दिया जायेगा।

परिशिष्ट 'छ-(1)' का निकाला जाना 11- उक्त नियमावली में, नियम-20 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'छ-(1)' को निकाल दिया जायेगा।

परिशिष्ट 'ज' का निकाला जाना 12- उक्त नियमावली में, नियम-21 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ज' को निकाल दिया जायेगा।

आज्ञा से,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)

अपर मुख्य सचिव।

Scanned with OKEN Scanner